न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बई़जलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 224 / 2018 (10 / 2017)
दायर दिनांक :– 11.01.2017

अनवान

श्रीमति रतनी पुत्री उदा कुम्हार नि. लुहारीकला पत्नि रघुवीर कुम्हार हाल नि. बिलेठा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री छोटु पिता घीसी कुम्हार नि. लुहारीकला तह. जहाजपुर
2. श्री विनोद पिता छोटु कुम्हार नि. लुहारीकला तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं 151 जा.दी. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री अखलाक खान, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांक 10.12.2019

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की प्रकरण सं0 243 / 15 दिनांक 23.08.2016 को प्रतिवादीगणों के विरूद्व एक तरफा के आदेश दिये गये व दिनांक 03.10.2016 को उक्त प्रकरण में (एक्सपार्टी) एकतरफा निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 19.10.2015 को सम्मन दिया गया जिस दिन प्रतिवादी माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन उस दिन कॉमन तारीख दी गई। व अगली तारीख की सूचना नही मिली न ही वादी द्वारा दुबारा सम्मन दिये गये जिससे प्रतिवदी को सूचना नही हो सकी। दिनांक 23.08.2015 को एक तरफा कर दिनांक 03.10.2016 को निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त वाद मे प्रतिवादी स. 1 छोटू की मृत्यु 25.04.2016 को हो गई वादी की और से प्रतिवादी सं. 1 के वारिसों को पक्षकारा नही बनाया मृतक के विरूद्व डिक्री पारित की गई जो विधि विरूद्व हैं एक तरफा डिक्री होने से प्रतिवादी न्याय से महरूम हो जायेगा। और न ही प्रतिवादी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नही रख पायेगा। प्रतिवादी दिनांक 05.01.2017 को पटवारी ने मुझे मेरे मकान को हटाने की सूचना दी कहा की आप हटा दो नही तो हम तुडवा कर कब्जा ले लेगें तब में जहाजपुर आकर अपने वकील से मिला तब वकील कोर्ट से जानकारी कर पता किया कि मेरे विरूद्व एक तरफा निर्णय पारित हो गया हैं तब नकलो की दरखस्त दीं मुझ प्रार्थी प्रतिवादी को 05.01.2017 से पुर्व प्रकरण की जानकारी नही हुई। प्रतिवादी अभिभाषक जिन्होने इस वादग्रस्त भूमि के लिये मुझ प्रतिवादी की और से वाद पत्र पेश किया। जिसके नम्बर 85 / 13 हैं व 212 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.07.2013 को रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया व वादीया 12.06.2013 को न्यायालय में उपस्थित हुई जिसे इस प्रकरण की जानकारी थी। उसके उपरान्त भी दिनांक 02.07.2015 को वादीया रतनी ने उक्त वाद पत्र पेश

कर निर्णय पारित करवा लिया। प्रतिवादी प्रार्थी को दिनांक 04.01.2017 को जानकारी हुई इससे पुर्व प्रतिवादी को जानकारी नही थीं इसलिये उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी के विरूद्व पारित एक तरफा निर्णय को निरस्त कर पुनः सुनवाई में रख दो तरफा किये जाने का आदेश प्रदान करे। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार करवाने की मांग की।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया की प्र. सं. 243/15 में प्रतिवादीगण व विनोद को विधिवत तामील की गई है, दिनांक 19.10.2015 का कॉमन तारीख दी गई जिसकी अपार्थी विनोद को जानकारी रही है, व न्यायालय तामील के पश्चात प्रत्येक तारीख की सभी पक्षकार को अलग – अलग सूचना नहीं देता हैं व प्रकरण में दिनांक 23.08.2015 को प्रतिवादी के विरूद्व नियमानुसार उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय किया गया हैं। प्रतिवादी सं. 1 छोटु की मृत्यु उक्त विचाराधीन प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही चलने के बाद दिनांक 25.04.16 को हुई, छोटू का वारिस स्वंय प्रतिवादी विनोद है, जो कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है व न्यायालय आदेशों की परवाह ना करना इनकी आदत है, व इनके विरूद्व नियमानुसार बेदखली की डिक्री जारी की गई हैं प्रकरण में प्रतिवादीगण व विनोद को विधिवत तामील की गई हैं व प्रकरण की पूर्ण जानकारी हैं। प्रतिवादीगण व विनोद को प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी व प्रकरण अवधि पार हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराना फरमावें।

हमने वकूलाय फरिकेन की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है की प्रा0 पत्र दिनांक 11.01.17 को पेश किया जो करीब 03 माह से अधिक समय के बाद प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया। प्रा0 पत्र देरी से पेश करने का कोई ठोस सबूत व दस्तावेज पेश नही किया गया। प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया कि किस आधार पर आप अपना उक्त भूमि पर कब्जा बताते हैं। केवल एक तरफा निर्णय के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं 151 जा.दी. .. खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: